


24-9
24

डोपीलांड के अधिवक्ता अपालित/विद्यमान
डोपीलांड द्वारा हस्तागत डोपील में
डोपीलांड की ओर से पेश की हिदायत
नहीं होने से पुनर्वाक्य दि. 20.8.24
को "Not press plead" लिखा है।
देन: डोपीलांड की यह डोपील अदालत
पेश की में खारिज की- जाती है।
पत्रावली निम्नलिखित अनुसार लेकर नंबर
से काम हो व दाखिल दफ्तर हो।
अधीनस्थ न्यायालय का अपीलवाली
अभिलेख पेश किया जावे।


जिला कलक्टर
बाडमेर

